न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण।
पीठासीन अधिकारी :–पुखराज कांसोटिया **RAS**
राजस्व मूल वाद संख्या :– 71/2020

वादी	प्रतिवादी
01.पूनमाराम पुत्र श्री चैनाराम जाति पीटल (पटेल) निवासी गांव दुन्दाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर।	01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

खातेदार घोषित करने हेतु घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु का वाद
अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत
2. प्रतिवादी की ओर से राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 23/10/2023

वादी ने एक वाद बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर कथन किया कि वादी के ग्राम धुन्धाडा पटवार क्षैत्र धुन्धाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 694/5 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी चतुर्थ कृषि भूमि वादी की कब्जा सुदा काश्त सुदा कृषि भूमि है जिस पर वादी एवं उससे पूर्व वादी के पिता चैनाराम जी मारवाड टिनेन्सी कानून के समय से एवं संवत 2012 से पूर्व से ही काबिज है तथा आज दिन तक निर्बाध एव निरन्तर तौर पर काश्त कर रहे है जिसे पर वादपत्र मे वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया कि खसरा नम्बर 694/5 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि वादी की पैत्रृक कब्जा सुदा भूमि हैं रियासत काल मे भी. वादी के पिता काश्त करते थे एव उनके बाद मे वादी लगातार काश्त कर रहा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के समय भी वादी उक्त भूमि पर काबिज था तथा कानुनन उसे खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो गये थे तथा वादी उक्त खातेदारी के रूप मे नाम इन्द्राज करवाने का पूर्ण अधिकारी था अर्थात सम्वत 2012 के पूर्व से ही वादी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा एव अधिकार रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती एव वादी के अनपढ एव असाक्षर होने के कारण तथा गरीब किसान होने के कारण वादी बहैसियत खातेदार अपना नाम राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज करवाने की कार्यवाही नही कर सका था साथ हि ग्राम धुन्धाडा नदी के किनारे स्थित होने एव अनेको बार बाढ की स्थिति होने के कारण वादी के कागजात भी बाढ मे बह जाने के कारण वादी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

उक्त बाबत कार्यवाही नही कर सका परन्तु वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के पूर्व से ही काबिज है तथा वह खातेदारी अधिकार प्राप्त कर राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम इन्द्राज करवाने का अधिकारी प्राप्त है वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा है तथा वर्षो से बाड इत्यादि की हुई है तथा निरन्तर तौर पर इसमे सुधार एव विकसित स्वंय वादी द्वारा काश्त करते हुए की है जिसका अंकन भी राजस्व अभिलेखो मे बहैसियत कब्जाधारी के रूप मे प्रतिवादी द्वारा किया गया प्रतिवादी ने गलत रूप से वादी को बेदखल करने की नियत से वर्ष 1974 मे तत्कालीन तहसीलदार द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही की परन्तु उसे समाप्त कर दिया। तत्पश्चात पुनः वर्ष 1979 मे धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर आदेश दिनांक 11.03.1979 को पारित किया जिस पर वादी द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर मे अपील पेश की जो अपील संख्या 50/1979 बअनवान पुनमाराम बनाम सरकार के रूप मे दर्ज कर वादी एव प्रतिवादी की समुचित सुनवाई कर अपने निर्णय दिनांक 17.02.1981 को वादी की अपील स्वीकार कर प्रतिवादी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.1979 को अपास्त कर दिया तथा वादी को उक्त विवादग्रस्त भूमि का अधिकारी माना तथा प्रतिवादी को निर्देश भी दिए कि वो वादी के पक्ष मे खातेदारी अधिकार देने की कार्यवाही करे जिसे प्रतिवादी ने भी स्वीकार किया जो आदेश अन्तिम हो चुका है अर्थात उक्त आदेश दिनांक 17.02.1981 के विरूद्व कोई अपील या अन्य कार्यवाही प्रतिवादी द्वारा नही की गई। उससे भी स्पष्ट है कि वादी उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का पूर्ण अधिकारी रहा है तथा आज दिन है वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर ग्राम धुन्धाडा पटवार क्षैत्र धुन्धाडा के खसरा नम्बर 694/5 रकबा 22 बीधा 10 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज किया जाने का निवेदन किया गया ।

वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी को समन जारी किये गये व तहसीलदार लूणी से जबाव वास्ते तहरीर जारी कि गई ।

तहसीलदार (भू.अ) लूणी के पत्र कमांक/सामान्य/2023/1976 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा जबाव प्राप्त हुआ तहसीलदार लूणी द्वारा अपने जबाव मे वादी द्वारा ग्राम धुन्धाडा के खसरा नम्बर 694/5 रकबा 22.10 बीधा किस्म बारानी चतुर्थ मे कब्जा काश्त के आधार पर राजकीय भूमि खातेदार धोषित किये जाने का दावा किया प्रस्तुत किया है चूकि उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार राजकीय खाते मे सिवायचक दर्ज है लिहाजा काब्जा काश्त के

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

आधार पर खातेदारी दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है वादी का वाद खारिज किये जाने की अनुशषा तहसीलदार लूणी द्वारा अपने जबाव मे की गई।

अतः–वादी द्वारा प्रस्तुत वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है डिकी पर्चा जारी हो पत्रावली फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर एंव नम्बर से कम हो।

(पुखराज कांसोटिया RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अतः निर्णय आज दिनांक 23/10/2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया,

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

डिकरी बमुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 71 / 2020

वादी	बनाम	प्रतिवादी
पूनमाराम पुत्र श्री चैनाराम जाति ल (पटेल) निवासी गांव दुन्दाडा सील लूणी जिला जोधपुर।		01.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

वा अंतर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 71 / 2020 यह आज कदमा वास्ते इनकिलास किलई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण मिनजानिब द्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अतः वादी द्वारा वाद राजकीय भूमि खातेदार घोषित किये जाने का दावा किया प्रस्तुत किया है चूकि क्त भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार राजकीय खाते मे सिवायचक दर्ज है लिहाजा काब्जा काश्त के आधार र खातेदारी दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है वादी का वाद खारिज किये जाने की अनुशषा हसीलदार लूणी ने अपने जबाव मे खारिज किये जाने की अनुशषा की गई अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद रहीन होने से खारिज किया जाता है

ज...मुबलिक.................................बाबत.................................खर्चा इस मुकुदमें के मय द व वगैरह..फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयाबी तक.............. ....को अदा करें।

तीब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 23/10/2023 को जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणी

मुद्दाई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्आम्प			स्टाम्प अरजी दावा		
			स्टाम्प		
वकालतनामा			वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मीजान			मुतफर्रिक मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लणी

Scanned by CamScanner